



22

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,

झाँसी

कार्य परिषद् की बैठक

दिनांक 28-29.08.2020

की कार्यवाही



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

दिनांक 28.08.2020 एवं 29.08.2020 को आयोजित कार्य परिषद् की बैठक की कार्यवाही—

उपस्थिति —

1. प्रो. जे. वी. वैशम्पायन	—	कुलपति / अध्यक्ष
2. प्रो. हरिभाऊ खांडेकर	—	कुलाधिपति नामित सदस्य
3. डा. विजय खैरा	—	कुलाधिपति नामित सदस्य
4. प्रौ. एस. पी. सिंह	—	सदस्य
5. प्रो. एम. एम. सिंह	—	सदस्य
6. प्रो. आर. के. सैनी	—	सदस्य
7. डा. वी. के. सिंह	—	सदस्य
8. डा. पुनीत बिसारिया	—	सदस्य
9. डा. महेन्द्र सिंह	—	सदस्य
10. श्री अनिल कुमार दीक्षित	—	वित्त अधिकारी
11. श्री नारायण प्रसाद	—	कुलसचिव / सचिव

कार्यवाही —

कोविड- 19 को दृष्टिगत रखते हुये शासन के निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये बैठक प्रारम्भ हुई।

उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (सेवायें) अनुभाग -2 की विज्ञप्ति/ नियुक्ति आदेश संख्या -29/ 2020/ एस-2-831/ दस- 2020-33(53)/2017 दिनांक 10 जून 2020 के अनुपालन में श्री अनिल कुमार दीक्षित द्वारा वित्त अधिकारी के पद पर दिनांक 25.06.2020 को विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की सूचना दी गई थी। श्री अनिल कुमार दीक्षित का परिषद् के सदस्यों से परिचय कराते हुये स्वागत किया गया।

1. कार्य परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 17.03.2020 एवं कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 20.07.2020 की कार्यवाहियों की सम्पुष्टि पर विचार तथा दिनांक 20.07.2020 की कार्यवाही में लिये गये निर्णय के अनुपालन में शासनादेश संख्या 226/ सत्तर -2 -2020 -18(31)/2018 दिनांक 13 मार्च 2020 पर विचार।

कार्य परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 17.03.2020 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी तथा परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 20/07/2020 की कार्यवाही की पुष्टि करते हुये बिन्दु संख्या 01 एवं अतिरिक्त बिन्दु की संख्या 02 की पुष्टि की गयी।

Handwritten signature

अतिरिक्त बिन्दु संख्या 01 के अनुसार-

शासनादेश संख्या 226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 दिनांक 13 मार्च 2020 दिनांक 13 मार्च 2020 के द्वारा समस्त स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में नीति/नियम/परिनियम में यथासम्भव प्राविधान करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके अनुपालन में कुलपति जी द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी थी। समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों को धारा 13(6) में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुये कुलपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था जिसकी सूचना शासन को प्रेषित कर दी गयी है।

समिति द्वारा निम्नवत वेतन निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी :-

प्राचार्य रू० 25,000/-,

प्रवक्ता रू० 20,000/-,

तृतीय श्रेणी कर्मचारी रू० 14,000/-,

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रू० 10,000/-,

प्रयोगशाला सहायक रू० 14,000/-

परिषद् उपर्युक्त संस्तुतियों से अवगत हुई।

2. प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 24.08.2020 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 24.08.2020 की कार्यवाही का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। कार्यवाही के बिन्दु संख्या 3 पर निम्न निर्णय को भी अनुमोदित किया गया।

निर्णय :- समिति ने सम्यक् विचारोपरान्त संकायाध्यक्षों की बैठक दिनांक 21/08/2020 की कार्यवाही के अनुसार :-

(क) ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने त्रिवर्षीय डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक) उत्तीर्ण किया है उन्हें इण्टरमीडिएट के समकक्ष माना जायेगा। स्नातक स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये उनकी अर्हता उनके द्वारा पॉलीटेक्निक में पढ़े गये विषयों के आधार पर निर्धारित होगी।

(ख) ऐसे छात्र/छात्राएँ जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उसके पश्चात मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक शिक्षण परिषद् से दो वर्षीय आई.टी.आई. की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। वे यदि मान्यता प्राप्त बोर्ड की इण्टरमीडिएट की एकल विषय हिन्दी अथवा अन्य किसी विषय में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में उसे इण्टरमीडिएट (कक्षा-12) के समकक्ष माना जायेगा। और ऐसे छात्र/छात्राएँ स्नातक स्तर पर बी०ए०/बी०एस०सी०/बी०कॉम में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

प्रवेश समिति के उपर्युक्त बैठक को विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 27 एवं 28.08.2020 द्वारा भी अनुमोदित किया गया। (परिषद् की इसी कार्यवाही का बिन्दु संख्या - 4)

3. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 25.04.2020 (आकस्मिक), दिनांक 31.07.2020 एवं 25.08.2020 की कार्यवाहियों के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 25.04.2020 की कार्यवाही के बिन्दु संख्या 01 से 03 तक का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 31.07.2020 की कार्यवाही के बिन्दु संख्या 01 से 09 तक तथा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये तीन बिन्दुओं का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 25.08.2020 की कार्यवाही के बिन्दु संख्या 01 से 19 तक सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त इसी बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद में समस्त बिन्दुओं का अनुमोदन किया गया।

1. विश्वविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं को एक से अधिक मूल अंकतालिका निर्गत करने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा पूर्व की भांति मूल अंकतालिकाएँ निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सत्यापन एवं उपाधि हेतु प्राप्त होने वाले अंकपत्रों में स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में संचालित बुनियादी पाठ्यक्रम तथा पर्यावरण एवं मानवाधिकार विषय के अंक न होने/अनुपस्थित होने/अनुत्तीर्ण होने पर सम्बन्धित अभ्यर्थियों की आनलाइन/आफ लाइन परीक्षा करायी जाए और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही सत्यापन/उपाधि निर्गत की जाए।
3. बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रम की प्रायोगिक परीक्षा हेतु परीक्षा समिति द्वारा निम्नवत निर्णय लिये गये:-
 - (i) बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0एड0/ एम0एड0 पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कम से कम 05 वर्ष के अनुभवी शिक्षकों को भी आन्तरिक परीक्षक (Internal Examiner) के रूप में सम्मिलित किया जाए।
 - (ii) अन्य विश्वविद्यालयों एवं उससे सम्बद्ध राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त/नियमित/ स्थाई शिक्षकों तथा अन्य विश्वविद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0एड0/ एम0एड0 पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कम से कम 05 वर्ष के अनुभवी शिक्षकों को भी बाह्य परीक्षक (External Examiner) के रूप में सम्मिलित किया जाए।



(iii) प्रायोगिक परीक्षा हेतु पूर्व में संचालित 'नोडल' केन्द्रों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

4. परीक्षा समिति द्वारा स्नातक (कला वर्ग) में एक विषय के रूप में संचालित भाषा (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू) पाठ्यक्रम को आगामी सत्र 2021-22 से समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. विश्वविद्यालय के जिन पाठ्यक्रमों में सी.बी.सी.एस. सिस्टम लागू है उनके परीक्षाफल में भिन्नता पाये जाने के कारण मा० कुलपति जी द्वारा गठित समिति द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों की भांति सत्र 2018-19 बैच से 5.0 से 6.49 सी.जी.पी.ए. तक द्वितीय श्रेणी एवं 6.5 से 7.99 सी.जी.पी.ए. तक प्रथम श्रेणी एवं 8.0 एवं इससे अधिक सी.जी.पी.ए. पर प्रथम श्रेणी (आनर्स) दिये जाने की संस्तुति की गई साथ ही समिति द्वारा यह भी प्रस्तावित किया कि वर्ष 2017 में जिन छात्रों को 6.5 से 6.99 सी.जी.पी.ए. होने पर भी द्वितीय श्रेणी की उपाधि निर्गत की गई है उसमें भी सुधार कर प्रथम श्रेणी की उपाधि निर्गत किया जाना उचित होगा। ऐसे छात्र अपनी मूल अंकतालिका तथा मूल उपाधि विश्वविद्यालय में जमा करेंगे तथा सारणीयन पंजिका में संशोधन के उपरान्त उनको श्रेणी संशोधित करते हुये नई अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत की जाए। उक्त का परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

4. विद्या परिषद् की ऑनलाइन माध्यम से सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 26.08.2020 एवं 27.08.2020 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की ऑनलाइन बैठक दिनांक 26.08.2020 एवं 27.08.2020 की कार्यवाही के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक अनुमोदन प्रदान किया गया।

साथ ही विद्या परिषद् की उपर्युक्त कार्यवाही के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद के बिन्दु संख्या 1 पर प्रस्तुत परीक्षा समिति की बैठकों दिनांक 31/07/2020 एवं 25/08/2020 की कार्यवाही के निम्न बिन्दुओं का विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया—

1. :- विश्वविद्यालय के जिन पाठ्यक्रमों में सी.बी.सी.एस.सिस्टम लागू है उनके परीक्षाफल में भिन्नता पाये जाने के कारण मा० कुलपति जी द्वारा गठित समिति द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों की भांति सत्र 2018-19 बैच से 5.0 से 6.49 सी.जी.पी.ए. तक द्वितीय श्रेणी एवं 6.5 से 7.99 सी.जी.पी.ए. तक प्रथम श्रेणी एवं 8.0 एवं इससे अधिक सी.जी.पी.ए. पर प्रथम श्रेणी (आनर्स) दिये जाने की संस्तुति की गई। साथ ही समिति द्वारा यह भी प्रस्तावित किया कि वर्ष 2017 में जिन छात्रों को 6.5 से 6.99 सी.जी.पी.ए. होने पर भी द्वितीय श्रेणी की उपाधि निर्गत की गई है उसमें भी सुधार कर प्रथम श्रेणी की उपाधि निर्गत किया जाना उचित होगा। ऐसे छात्र अपनी मूल अंकतालिका तथा मूल उपाधि विश्वविद्यालय में जमा करेंगे तथा सारणीयन पंजिका में संशोधन के उपरान्त उनको श्रेणी संशोधन करते हुए नई अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत की जाए। उक्त का विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया।

2. :- विद्या परिषद् द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त स्नातक (कला वर्ग) में एक विषय के रूप में संचालित भाषा (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू) पाठ्यक्रम को आगामी सत्र 2020-21 से समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।



3 :- विद्यापरिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त डॉ० आर०के० चतुर्वेदी, अपर सचिव, उत्तर-प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के अनुस्मारक पत्र पत्रांक 256/रा०उ०शि०प०/53/19 दिनांक 24 जुलाई 2020 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में सत्र 2019-20 को अवशेष वार्षिक/सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिये निर्गत दिशा निर्देश के सम्बन्ध कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थिति में विश्वविद्यालय की वर्ष 2020 की अवशेष वार्षिक/सेमेस्टर की परीक्षाओं के सम्बन्ध में गठित समिति की आख्या का अनुमोदन किया गया। जिसके अन्तर्गत सत्र 2019-20 की परीक्षाओं में अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं की परीक्षा लेने तथा अन्तिम से पूर्व वर्ष/सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं को अगले वर्ष में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया। समिति की निम्नवत कार्यवाही का विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

1. विश्वविद्यालय परिसर और महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा/स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों (वार्षिक एवं सेमेस्टर) के अन्तिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन।
2. अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर के अतिरिक्त छात्रों हेतु अगले वर्ष/सेमेस्टर में छात्रों की प्रोन्नति।
- 3- कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विभिन्न नियामक संस्थाओं (यू०जी०सी०, एन०सी०टी०ई०, सी०ओ०ए०, पी०सी०आई०, आई०सी०ए०आर०, ए०आई०सी०टी०ई०) एवं उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद द्वारा परीक्षाओं के आयोजन एवं छात्रों को प्रोन्नत किए जाने सम्बन्धी जारी किए गए दिशा-निर्देश।

समिति द्वारा निम्न संस्तुतियाँ की गयीं :-

A. परम्परागत पाठ्यक्रम (संस्थागत एवं व्यक्तिगत)

I- स्नातक पाठ्यक्रम

बी०ए०/बी०एस-सी०/बी०कॉम०/बी०एच०एस०-सी० के अन्तिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा

- (i). अवशेष परीक्षाओं को सम्पन्न करा लिया जाय तदुपरान्त परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय।
- (ii). प्रायोगिक परीक्षा स्थानीय क्षेत्र में निवास करने वाले आन्तरिक शिक्षक (Internal Teacher) एवं विशेषज्ञों से सम्पादित करायी जाय।
- (iii). महाविद्यालय द्वारा केवल उन्हीं शिक्षकों से प्रयोगिक/मौखिक परीक्षा सम्पादित करायी जाय, जो विश्वविद्यालय से अनुमोदित हो।

2. बी०ए०/बी०एस-सी०/बी०कॉम०/बी०एच०एस०-सी० के द्वितीय वर्ष के छात्रों की प्रोन्नति

(a) बी०ए०/बी०एस-सी० द्वितीय वर्ष

- (i). प्रथम वर्ष में समान विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर सैद्धान्तिक/प्रायोगिक के अंक प्रदान किये जायें।
- (ii). परन्तु, यदि छात्र प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण है तो उसे अगले वर्ष में 2019 की सम्बन्धित बैक पेपर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही द्वितीय वर्ष में सम्बन्धित विषय में अंक प्रदान किया जाय। बैक पेपर परीक्षा में प्राप्त अंक प्रथम और द्वितीय वर्ष के सम्बन्धित विषय में प्रदान किया जाय।

उदाहरण :- यदि कोई छात्र वर्ष 2019 की प्रथम वर्ष की परीक्षा में अंग्रेजी साहित्य में अनुत्तीर्ण है तो बैकपेपर परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही द्वितीय वर्ष के अंग्रेजी साहित्य में अंक प्रदान किया जाय। द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम उसके उपरान्त ही घोषित किया जाय।

(b) बी०कॉम०/बी०एच०एस०-सी० द्वितीय वर्ष।

- (i). प्रथम वर्ष के समस्त प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर सैद्धान्तिक/प्रायोगिक परीक्षा में अंक प्रदान किये जायें।

3. बी०ए०/बी०एस-सी०/बी०कॉम०/बी०एच०एस०-सी० प्रथम वर्ष के छात्रों की प्रोन्नति

(a) बी०ए०/बी०एस-सी० प्रथम वर्ष



- (i). प्रथम वर्ष के छात्रों को अनन्तिम रूप में द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाय और द्वितीय वर्ष (2021) की सैद्धान्तिक/प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय। प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम के साथ ही घोषित किया जाय।
- (ii). परन्तु, यदि छात्र द्वितीय वर्ष 2020 में किसी विषय में अनुत्तीर्ण है तो उसे उस विषय में बैकपेपर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही प्रथम वर्ष में अंक प्रदान किये जायें। बैक पेपर परीक्षा में प्राप्त अंक उसी विषय में दोनों वर्षों (प्रथम एवं द्वितीय) में प्रदान किये जायें। प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम इसके उपरान्त ही घोषित किया जाय।
- (iii). सत्र 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित वे छात्र जो 2020 में प्रोन्नत किये गये हैं, वे यदि द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण होते हैं या परीक्षा नहीं देते हैं तो उन्हें वर्ष 2021-22 में प्रथम वर्ष में भूतपूर्व छात्र के रूप में वर्ष 2021-22 की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।
- (b) बी0कॉम0/बी0एच0एस0-सी0 प्रथम वर्ष।
- (i). प्रथम वर्ष के छात्रों को अनन्तिम रूप से द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाय और द्वितीय वर्ष में सभी प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर प्रथम वर्ष में सैद्धान्तिक/प्रायोगिक परीक्षा के अंक प्रदान किया जाय।
- (ii). सत्र 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित वे छात्र जो 2020 में प्रोन्नत किये गये हैं, वे यदि द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण होते हैं या परीक्षा नहीं देते हैं तो उन्हें वर्ष 2021-22 में प्रथम वर्ष में भूतपूर्व छात्र के रूप में वर्ष 2021-22 की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।
- (c). अनिवार्य प्रश्न पत्र
- (i). बी0ए0 पाठ्यक्रम के छात्रों को द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा या वर्ष 2021 की बैक पेपर परीक्षा के साथ प्रथम वर्ष से सम्बन्धित भाषा के प्रश्न पत्र को अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होगा, अनुत्तीर्ण होने की दशा में उन्हें तृतीय वर्ष में प्रोन्नत नहीं किया जायेगा।
- (ii). बी0ए0, बी0एस-सी0, बी0कॉम0 और बी0एच0एस0-सी0 के समस्त छात्रों को पर्यावरण और मानवाधिकार प्रश्न पत्र की परीक्षा 2021 द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष की मुख्य परीक्षा या बैक पेपर परीक्षा के साथ उत्तीर्ण करना होगा, परन्तु समस्त छात्रों को पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के अन्दर इस प्रश्न पत्र की परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा।

II. परास्नातक पाठ्यक्रम (एम0ए0 और एम0कॉम0)

1. अन्तिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा

- (i). अन्तिम वर्ष की अवशेष परीक्षा को सम्पन्न करा लिया जाय तदोपरान्त परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय।
- (ii). मौखिक परीक्षा (VIVA-VOCE) स्थानीय क्षेत्र में निवास करने वाले आन्तरिक शिक्षक (Internal Teacher) एवं विशेषज्ञों से सम्पादित करायी जाय।
- (iii). महाविद्यालय द्वारा केवल उन्हीं शिक्षकों से मौखिक परीक्षा सम्पादित करायी जाय, जो विश्वविद्यालय से अनुमोदित हो।

2. प्रथम वर्ष के छात्रों की प्रोन्नति

- (i). वर्ष 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में समस्त प्रश्न पत्र में प्राप्त औसत अंक के आधार पर प्रथम वर्ष में अंक प्रदान किया जाय।
- (ii). सत्र 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित वे छात्र जो 2020 में प्रोन्नत किये गये हैं, वे यदि द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण होते हैं या परीक्षा नहीं देते हैं तो उन्हें वर्ष 2021-22 में प्रथम वर्ष में भूतपूर्व छात्र के रूप में वर्ष 2021-22 की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।

B. व्यवसायिक पाठ्यक्रम (वार्षिक)

I. स्नातक पाठ्यक्रम

- (a). बी0ए0 मास कम्युनिकेशन एण्ड जर्नलिस्म/ बी0एस-सी0 ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी/ बी0एस-सी0 ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री/ बी0एस-सी0 ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी/ बी0एस-सी0 ऑनर्स फोरेंसिक साइंस/ बी0एस-सी0 ऑनर्स माइक्रा बायोलॉजी/ बी0एस-सी0 ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस/ बी0एस-सी0 ऑनर्स जियोलॉजी/ बी0पी0ई0एस0/बी0पी0टी0/डी0फार्मा0/ बी0एस-सी0 होम साइंस/ बी0एस-सी0 मैथ, स्टेटिक्स एण्ड कम्प्यूटर साइंस।

तृतीय वर्ष के छात्रों के परीक्षा

- (i). अवशेष परीक्षाओं को सम्पन्न करा लिया जाय तदुपरान्त परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय।
- (ii). प्रायोगिक परीक्षा स्थानीय क्षेत्र में निवास करने वाले आन्तरिक शिक्षक (Internal Teacher) एवं विशेषज्ञों से सम्पादित करायी जाये।
- (iii). महाविद्यालय द्वारा केवल उन्हीं शिक्षकों से प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा सम्पादित करायी जाये, जो विश्वविद्यालय से अनुमोदित हो।

2. द्वितीय वर्ष के छात्रों की प्रोन्नति

- (i). प्रथम वर्ष के समस्त प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर सैद्धान्तिक/प्रायोगिक परीक्षा में अंक प्रदान किया जाय।
- (ii). सत्र 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित वे छात्र जो 2020 में प्रोन्नत किये गये हैं, वे यदि द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण होते हैं या परीक्षा नहीं देते हैं तो उन्हें वर्ष 2021-22 में प्रथम वर्ष में भूतपूर्व छात्र के रूप में वर्ष 2021-22 की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।

3. प्रथम वर्ष के छात्रों की प्रोन्नति

- (i). प्रथम वर्ष के छात्रों को अनन्तिम रूप से द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाय और वर्ष 2021 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सभी प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर प्रथम वर्ष में सैद्धान्तिक/प्रायोगिक परीक्षा के अंक प्रदान किया जाय।
- (ii). सत्र 2019-20 में प्रथम वर्ष की आन्तरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) परीक्षा में प्राप्त अंकों को ही प्रथम वर्ष के आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित विषयों/प्रश्न पत्रों में प्रदान किया जाय।
- (iii). सत्र 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित वे छात्र जो 2020 में प्रोन्नत किये गये हैं, वे यदि द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण होते हैं या परीक्षा नहीं देते हैं तो उन्हें वर्ष 2021-22 में प्रथम वर्ष में भूतपूर्व छात्र के रूप में वर्ष 2021-22 की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।

(b.) बी0एल0एड0/बी0एफ0ए0 पाठ्यक्रम

1. चतुर्थ वर्ष के छात्रों की परीक्षा

- (i). अवशेष परीक्षाओं को सम्पन्न करा लिया जाय तदुपरान्त परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय।
- (ii). प्रायोगिक परीक्षा स्थानीय क्षेत्र में निवास करने वाले आन्तरिक शिक्षक (Internal Teacher) एवं विशेषज्ञों से सम्पादित करायी जाय।
- (iii). महाविद्यालय द्वारा केवल उन्हीं शिक्षकों से प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा सम्पादित करायी जाय, जो विश्वविद्यालय से अनुमोदित हो।

2. तृतीय वर्ष के छात्रों की प्रोन्नति


- (i). द्वितीय वर्ष के समस्त प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर सैद्धान्तिक/प्रायोगिक परीक्षा में अंक प्रदान किया जाय।
- (ii). सत्र 2019-20 में तृतीय वर्ष की आन्तरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) परीक्षा में प्राप्त अंकों को ही तृतीय वर्ष के आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित विषयों/प्रश्न पत्रों में प्रदान किया जाय।

3. द्वितीय वर्ष के छात्रों की प्रोन्नति

- (i). प्रथम वर्ष के समस्त प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर सैद्धान्तिक/प्रायोगिक परीक्षा में अंक प्रदान किया जाय।
- (ii). सत्र 2019-20 में द्वितीय वर्ष की आन्तरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) परीक्षा में प्राप्त अंकों को ही द्वितीय वर्ष के आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित विषयों/प्रश्न पत्रों में प्रदान किया जाय।

4. प्रथम वर्ष के छात्रों की प्रोन्नति

- (i). प्रथम वर्ष के छात्रों को अनन्तिम रूप से द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाय और वर्ष 2019 में द्वितीय वर्ष के सभी प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर प्रथम वर्ष में सैद्धान्तिक/प्रायोगिक परीक्षा के अंक प्रदान किया जाय।



नोट :

1. सैद्धान्तिक और प्रायोगिक के औसत अंक सम्बन्धित सैद्धान्तिक और प्रायोगिक अंकों के आधार पर अलग-अलग प्रदान किये जाएंगे।
2. यदि किसी छात्र का 2018-19 में प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में बैक पेपर (सैद्धान्तिक / प्रायोगिक / आन्तरिक मूल्यांकन) है तो उसे दूसरे से तीसरे वर्ष/सेमेस्टर में अनंतिम रूप से प्रोन्नत किया जाएगा, लेकिन उसका द्वितीय वर्ष /सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम प्रथम वर्ष/सेमेस्टर के सभी बैक पेपर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही घोषित किया जायेगा।
इसी प्रकार यदि किसी छात्र का 2020-21 में द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर में बैक पेपर (सैद्धान्तिक / प्रायोगिक / आन्तरिक मूल्यांकन) है तो उसके प्रथम वर्ष /सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर के सभी बैक पेपर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही घोषित किया जायेगा।
3. पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि अध्यादेश के अनुसार ही रहेगी।
परन्तु, ऐसे छात्र जिनकी पाठ्यक्रम की पूर्णता की अधिकतम समयावधि 2019-20 में समाप्त हो रही है और अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में विफल रहते हैं तो ऐसे छात्रों को अपना बैक पेपर उत्तीर्ण करने और पाठ्यक्रम पूर्ण करने का एक अवसर प्रदान किया जायेगा। यह केवल इसी वर्ष के लिये लागू होगा।
4. नियमानुसार बी०टेक छात्रों को अंतिम वर्ष (सातवे सेमेस्टर) में प्रोन्नत होने से पूर्व प्रथम वर्ष (पहले और दूसरे सेमेस्टर) के अपने सभी बैक पेपर को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इस तरह के असाधारण मामलों को ध्यान में रखते हुए यह समाधान निकाला गया कि इस प्रकार के छात्रों को अन्तिम वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाय। यह केवल सत्र 2020-21 के लिये मान्य होगा।
परन्तु, उन्हें पाठ्यक्रम के पूर्ण होने की अधिकतम समयावधि के अन्दर अपने सभी बैक पेपर उत्तीर्ण करने होंगे।
डी०फार्मा० / बी०फार्मा० / एम०फार्मा०
5. यदि पी०सी०आई० दिशा-निर्देश उपरोक्त से असंगत है तो विश्वविद्यालय द्वारा उस पर विचार-विमर्श किया जाएगा और तदनुसार निर्णय लिया जाएगा।
6. उपरोक्त सभी नियमों की व्याख्या तथा इसमें लागू होने में यदि कोई कठिनायी आती है तो इस सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार परीक्षा समिति का होगा।

परिषद् द्वारा विद्या परिषद् में प्रस्तुत उपर्युक्त समस्त बिन्दुओं का अनुमोदन किया गया।

5. श्री बालेन्द्र सिंह, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.), बायोटेक्नोलोजी विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी को कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-बु०वि०/प्रशा०/2020/6876-81 दिनांक 16.07.2020 के द्वारा दिनांक 18.06.2020 से 17.12.2020 (कुल 06 माह) तक अवैतनिक अवकाश विस्तारित करने की कृपा की है। परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से पत्र संख्या-बु०वि०/प्रशा०/2020/6876-81 दिनांक 16.07.2020 का अनुमोदन किया गया।

M
8N

6. डा0 विनम्र सेन सिंह, सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी को कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु0वि0/ प्रशा0/ 2020/ 6923-28 दिनांक 17.07.2020 के द्वारा दिनांक 01.07.2020 से 31.12.2020 (कुल 06 माह) तक असाधारण अवैतनिक अवकाश विस्तारित करने की कृपा की है। परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से पत्र संख्या बु0वि0/ प्रशा0/ 2020/ 6923-28 दिनांक 17.07.2020 का अनुमोदन किया गया।

7. श्री *कन्हैया लाल सौनकर, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.), शारीरिक शिक्षा संस्थान विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी को कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-बु0वि0/प्रशा0/2020/7035-40 दिनांक 10.08.2020 के द्वारा दिनांक 13.08.2020 से 12.08.2021 (कुल 01 वर्ष) तक अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने की कृपा की है। परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद् द्वारा पत्र संख्या-बु0वि0/प्रशा0/2020/7035-40 दिनांक 10.08.2020 का अनुमोदन किया गया।

8. श्री अनिल कुमार झरबड़े सहायक आचार्य, शारीरिक शिक्षा संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा अपने पद से दिनांक 21.08.2020 को दिये गये त्यागपत्र को स्वीकार किये जाने हेतु परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परिषद् द्वारा पत्र संख्या बु0वि0/प्रशा0/2020/7035-40 दिनांक 10.08.2020 का अनुमोदन किया गया।

9. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद :-

1. उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं सम्बन्धित महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित पाठयक्रमों को आरम्भ एवं संचालित करने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 13 मार्च 2020 को दिशा निर्देश जारी किये गये। उक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के 50(6) के अन्तर्गत किये गये प्रावधान के अनुसार बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा अपने वर्तमान परिनियम में अध्याय XXI के पश्चात अध्याय XXII जोड़े जाने के सम्बन्ध में समिति की संस्तुतियों पर विचार।



परिषद् के समक्ष समिति की निम्नलिखित संस्तुतियां दिनांक 24/08/2020 को (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) प्रस्तुत किया गया -

In pursuance of provision of section 50(6) of Uttar Pradesh State University Act 1973, the State Government has issued an order dated 13.03.2020 whereby it has issued a G. O. containing guidelines in respect of starting and operating Self Finance / Self Financing Courses in Universities and Colleges of Uttar Pradesh. In accordance with these G. O., the Bundelkhand University is making the statutes for the opening and operating of Self Finance Courses as a New Chapter XXII after the existing Chapter XXI of the First Statutes of the Bundelkhand University.

CHAPTER - XXII

Statutes for opening and operating Self Finance / Self Financing Courses at Bundelkhand University Campus and its affiliated Colleges.

1. These statutes will be called the Bundelkhand University Statutes for Self Financing Courses 2020. They shall come into affect as soon as they are assented to by the Chancellor.
2. All existing ordinances, rules and regulations of Self Financing Courses, if they are inconsistent with these Statutes, are, to the extent of such inconsistency, hereby rescinded and shall forthwith cease to have effect.
3. The University can start a Self Financing Course, if it is felt that there is an academic need to start such a course, either in an existing department of the University or in some new and emerging area.
4. Only such courses need to be started which are financially viable either immediately or in the next three years.
5. Any proposal for a new Self Financing Course, can be initiated by an existing department of the University or if it is in a new field of study, requiring the establishment of a new Department, then, the Vice Chancellor may constitute a Committee of 2 Deans of Faculties and 2 External Experts in that field to examine the proposal in terms of its academic and financial viability at the University. The Vice Chancellor may constitute an adhoc Board of Studies, consisting of internal and external experts, to develop the course and its detailed syllabi of each paper as well as required ordinances for admission teaching and examination.
6. For the conduct of such courses, the University may appoint such teaching and non- teaching staff as may be required for teaching, research and other administrative work, related to such a course. They will be appointed at such terms and conditions as decided by the Executive Council of the University. (Annexure to these Statutes)
7. Apart from teaching, the University may take the services of Guest Faculty/ Subject Experts/ Teaching Assistants who will be paid on hourly basis at the rates prescribed by the Executive Council. The services of these Guest Faculty/ Subject Experts/ Teaching Assistants may be taken for examination purposes also, at the prescribed rates.

8. Out of the total revenue of Self Financing Courses a minimum of 75% and a maximum of 80% will generally be spent on the salary / Emoluments of the teaching and non teaching staff of the courses, 10% of the revenue will be transferred to the General Fund of the University for maintenance of infrastructure and other essential services, 5% will be spent on equipment and other academic activities and for further development of the Self Financing Courses and 5% will be transferred to the corpus fund of the Self Financing Courses.
9. The University shall maintain a separate Self Financing Courses Fund in which all expenses and revenues from Self Financing Courses will be remitted. A separate Bank Account will be maintained for this purpose in which all receipts and payments will be debited and credited. A separate Income Expenditure Statement and Balance Sheet will also be prepared, which will finally become a part of University's Income Expenditure Statement and the Balance Sheet. In addition to the Overall Income Expenditure Account of Self Financing Courses, each course will also maintain its own income and expenditures account, so that the financial viability of each course can be periodically assessed.
10. If the University finds that an academic course is continuously financially unviable, it can discontinue that course subject to approval of the Executive Council. However, the University, as far as possible shall continue the course till the students admitted therein pass out of the course.
11. The rules for appointment and other service conditions of teachers of Self Financing Courses are given in appendix to these statutes. The Executive Council of the University shall be empowered to frame and amend rules of appointment, service conditions and promotion of teachers and non teaching staff of SFS Courses.
12. Aided and Self Financing Colleges affiliated to Bundelkhand University may start Self Financing Courses in order the following terms and conditions.
 - (i) The college shall pay a minimum of 75% of the tuition fee received from the students for the payment of salary of teachers and non teaching staff. The University will prescribe the minimum salary to be paid to teachers and non teaching staff. The salary to teachers and non teaching shall be paid on their account through online mode.
 - (ii) The services of the teachers and employee will continue till the continuation of the Self Financing Course or till their satisfactory service. If the college wishes to discontinue their services, it can be done only with the approval of the Vice Chancellor after following the principles of natural justice.
 - (iii) The teaching and non teaching staff will be entitled to Casual Leave, Maternity Leave, Duty Leave, Medical Leave etc as decided by the University.
 - (iv) The working hours, teacher-taught ratio and other norms will be followed as decided by the University Grant Commission, other regulatory bodies or by the University.
 - (v) The services of teachers and employees can be utilized for examination and other administrative duties in the college. The teachers will be entitled to duty leave for Refresher Courses/ Orientation Courses /Seminars and Conferences.
 - (vi) The payment of Salary, Leave and other service conditions shall be expressly mentioned in the contract to be signed between the college management and the concerned teacher / employees. A copy of the contract shall be given to the concerned teacher/ employee and also to the University.

M. g. v.

- (vii) If a College is not willing to continue a self Financing Course, because it is financially not viable or for any other valid reason, then it can apply to the University stating the reasons for its inability to continue the course. If the University allows such withdrawal of the course the services of the teachers appointed for this course may be discontinued after giving them 3 months notice or salary thereof. The College will have to arrange the transfer of the admitted students in some other college in concurrence with the University.
- (viii) The University shall develop an effective system for the enforcement of these conditions as well as monitoring of admission teaching and examination of the colleges. The University will have power to take action against the college, which includes power to terminate / discontinue the affiliation of a course.
- (ix) Annual audit of income and expenditure of Self Financing Courses by a Chartered Accountant shall be conducted by the college and the audit report be submitted to the University. The audit report shall specifically mention that 75% of tuition fee income is being spent on salaries.

Appendix

Terms of Appointment and Service Conditions of Teachers of Self Financing Course in the University Campus.

1. In order to run a Self Financing Course, the University will appoint teachers in an existing Department or in a new Department. The teachers may be appointed as Assistant Professors, Associate Professor or Professors.
2. The qualifications and academic requirements for an Assistant Professor, an Associate Professor or a Professor will be the same as prescribed by the University Grants Commission or by any other Regulatory Body.
3. The appointment will be by an open advertisement in any two news papers and on the University Website.
4. The Selection Committee will be chaired by the Vice Chancellor and two external experts in the field nominated by the Vice Chancellor. The Head of the Department will also be a member of the Selection Committee. The Registrar will be a non member Secretary of the Committee.
5. The recommendation of the Selection Committee will be placed before the Executive Council of the University and after its approval; the appointment letter will be issued.
6. The appointment will be initially for a period of 2 years on contract and after satisfactory completion of 2 years the teacher will be given a 5 year extension of the contract. After satisfactory completion the teacher will be given a 10 year extension and so on, till the age of superannuation as prescribed in the University, subject to satisfactory performance of his teaching, research and administrative duties.
7. The teacher may be appointed on a scale, consistent with financial condition of the course or on consolidated emoluments to be fixed by the Executive Council of the University on the recommendation of the Finance Committee of the University.

M
gv

8. If a teacher's performance is continuously unsatisfactory, or a course is continuously financially and academically unviable for 3 years, then the services of a teacher or all the teachers of a self finance course may be terminated by giving a 3 month notice or a compensation of 3 month salary or emoluments of the concerned teacher or teachers.
9. The teachers will be entitled for all the leaves as decided by the University for such Self Finance Scheme Teachers.
10. Apart from the teaching duties, the teachers can be put on examination and other administrative duties in the University.

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं संबद्धित महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को आरम्भ एवं संचालित करने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 13 मार्च 2020 को दिशा निर्देश जारी किये गए। उक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुभाग 50(6) के अंतर्गत किये गए प्रावधान के अनुसार बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा अपने वर्तमान प्रथम परिनियम में अध्याय XXI के पश्चात अध्याय XXII जोड़ा जा रहा है।

अध्याय - XXII

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय एवं संबद्धित महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के आरम्भ एवं संचालन सम्बन्धी परिनियम

1. ये परिनियम बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम परिनियम 2020 के नाम से जाने जायेंगे।
2. यदि स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों से सम्बंधित पूर्व अध्यादेशों, नियम एवं विनियमों में यदि वर्तमान संशोधित परिनियम के अनुसार कोई विसंगति पायी जाती है तो उन्हें तत्काल निरस्त किया जाता है तथा वे अब प्रभाव में नहीं रहेंगे।
3. यदि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक उपयोगिता के अनुसार किसी नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम को आरम्भ करने की आवश्यकता अनुभव होती है तो विश्वविद्यालय उस शैक्षणिक पाठ्यक्रम को वर्तमान संस्थान में आरम्भ कर सकता है अथवा इस नवीन पाठ्यक्रम हेतु नए विभाग का प्रावधान किया जा सकता है।
4. केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने का अनुमोदन प्रदान किया जायेगा जिनसे तत्काल अथवा आने वाले 3 वर्षों में प्रवेश संख्या तथा आर्थिक लाभ की प्रबल सम्भावना हो।
5. वर्तमान विभाग अथवा संस्थान में नए स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम को आरम्भ करने का प्रस्ताव सम्बंधित विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। किन्तु यदि स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत नए विषय क्षेत्र में पाठ्यक्रम आरम्भ करना है जिसके लिए नए विभाग की स्थापना आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति में प्रस्तावित पाठ्यक्रम की शैक्षणिक उपयोगिता एवं आर्थिक मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा 4 सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। कुलपति पाठ्यक्रम के प्रवेश, शिक्षण एवं परीक्षा हेतु अध्यादेश, प्रत्येक पेपर हेतु शिक्षण सामग्री के विकास तथा परीक्षा प्रणाली के विन्यास एवं निरूपण हेतु आंतरिक एवं बाह्य विषय विशेषज्ञों के एक अस्थायी बोर्ड ऑफ़ स्टडीज़ का गठन कर सकते हैं।
6. इन पाठ्यक्रमों में शिक्षण, शोध एवं अन्य प्रशासनिक गतिविधियों के सफल संचालन हेतु विश्वविद्यालय शैक्षणिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का चयन किया जायेगा। यह नियुक्तियां विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित नियम एवं शर्तों के अनुसार की जाएंगी।
7. नियमित शिक्षकों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय नवीन पाठ्यक्रम के शिक्षण हेतु आमंत्रित शिक्षक/ विषय विशेषज्ञ/ शिक्षण सहायकों की सेवाएं भी प्राप्त कर सकता है जिनको कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जायेगा। इन आमंत्रित शिक्षक/ विषय विशेषज्ञ/ शिक्षण सहायकों की सेवाएं परीक्षा हेतु भी प्राप्त की जा सकेंगी तथा प्राप्त की गई सेवाओं का भुगतान निश्चित दरों के अनुसार किया जाएगा।
8. स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम से प्राप्त कुल आय का सामान्य तथा न्यूनतम 75% से अधिकतम 80% भाग उन शैक्षणिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन पर व्यय किया जाएगा जो इन पाठ्यक्रमों में पढ़ा रहे हैं, 10% भाग इन पाठ्यक्रमों की व्यवस्थाओं एवं आवश्यक सेवाओं के रखरखाव के लिए विश्वविद्यालय की सामान्य निधि में हस्तांतरित किया जायेगा, 5% भाग इन पाठ्यक्रमों के उपकरणों तथा

हस्तांतरित किया जायेगा I

विश्वविद्यालय के समस्त स्वचिंतपोषित पाठ्यक्रमों के आय व्ययक हेतु एक पृथक क्रोष का प्रावधान किया जायेगा। स्वचित पोषित पाठ्यक्रमों हेतु एक पृथक बैंक एकाउंट की व्यवस्था की जायेगी जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रमों से प्राप्त आय एवं व्यय का संचालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्वचित पोषित पाठ्यक्रमों का पृथक आय व्यय विवरण (income expenditure statement) एवं बैलेंस शीट तैयार की जायेगी जो विश्वविद्यालय के संयुक्त आय व्ययक विवरण एवं बैलेंस शीट का एक अंग होगा I इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्वचित पोषित विभाग / संस्थान का भी पृथक आय व्ययक विवरण बनाया जाएगा ताकि समय समय पर उस पाठ्यक्रम की वित्तीय उपादेयता का मूल्यांकन किया जा सके।

10. यदि विश्वविद्यालय को ज्ञात होता है कि कोई शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कोर्स लम्बे समय से वित्तीय रूप से अनुपयोगी प्रमाणित हो रहा है तो उस पाठ्यक्रम/कोर्स को कार्य परिषद् के अनुमोदन के पश्चात बंद किया जा सकता है I किन्तु छात्र हित में विश्वविद्यालय द्वारा उस पाठ्यक्रम /कोर्स को सत्र के पूर्ण होने के पश्चात/ छात्रों के अंतिम परिणाम आने के पश्चात ही बंद करने का निर्णय लिया जाएगा I
11. स्वचितपोषित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तें इन परिनियमों के संलग्नक में दी गई हैं. विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् स्वचित पोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों एवं प्रोन्नति सम्बन्धी नियमों को बनाने एवं उनमें आवश्यक बदलाव करने हेतु अधिकृत की जाती है।
12. विश्वविद्यालय से संबद्धित अनुदानित एवं स्वचित पोषित पोषित महाविद्यालय निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार ही स्वचित पोषित पाठ्यक्रम आरम्भ कर सकेंगे :
 - i. महाविद्यालय छात्रों से प्राप्त ट्यूशन शुल्क का कम से कम 75 प्रतिशत भाग शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन के रूप में भुगतान करेंगे। शिक्षकों एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों को दिया जाने वाला न्यूनतम वेतन विश्वविद्यालय द्वारा नियत किया जायेगा। शिक्षकों एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतन का भुगतान ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा सीधे उनके बैंक खाते में किया जायेगा I
 - ii. उन शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवाएं स्वचित पोषित पाठ्यक्रम की अवधि अथवा उनके संतोषप्रद सेवाओं तक मान्य रहेंगी I यदि महाविद्यालय किसी शिक्षक अथवा कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करना चाहता है तो प्राकृतिक न्याय के अनुपालन में इस हेतु कुलपति का अनुमोदन अनिवार्य होगा I
 - iii. स्वचित पोषित योजना के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारी, विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित आकस्मिक अवकाश (casual leave), मातृत्व अवकाश (maternity leave), ड्यूटी लीव, मेडिकल लीव इत्यादि के अधिकारी होंगे I
 - iv. शिक्षकों का कार्य समय /शैक्षणिक समय (working hours), शिक्षक - विद्यार्थी अनुपात (teacher taught ratio) एवं अन्य नियम का विश्वविद्यालय अथवा नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित किये जायेंगे जिनका अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा I
 - v. स्वचित पोषित योजना के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों की सेवाओं का परीक्षा आयोजन में भी उपयोग किया जायेगा I योजना के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक रिक्रेशर कोर्स / ओरिएंटेशन कोर्स एवं सेमिनार तथा कार्यशालाओं में प्रतिभाग लेने हेतु अवकाश के अधिकारी होंगे I
 - vi. महाविद्यालय प्रबंध एवं स्वचित पोषित योजना के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारी के द्वारा संयुक्त रूप में हस्ताक्षरित नियुक्ति अनुबंध में वेतन, अवकाशों एवं अन्य सेवा शर्तों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा I नियुक्ति अनुबंध की एक प्रति सम्बंधित शिक्षक अथवा कर्मचारी को तथा एक प्रति विश्वविद्यालय प्रशासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध की जायेगी I
 - vii. यदि कोई महाविद्यालय किसी स्वचित पोषित पाठ्यक्रम को वित्तीय रूप से अनुपयोगी होने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से आगे जारी नहीं रखना चाहता तो उसे अपनी असमर्थता का स्पष्ट उल्लेख करते हुए उक्त पाठ्यक्रम / कोर्स को बंद करने हेतु विश्वविद्यालय को आवेदन करना होगा I यदि विश्वविद्यालय द्वारा सहमति दिए जाने पर सम्बंधित पाठ्यक्रम / कोर्स हेतु नियुक्त शिक्षकों को तीन माह के नोटिस अथवा वेतन दिए जाने के पश्चात ही उक्त कोर्स को समाप्त किया जा सकेगा I महाविद्यालय को विश्वविद्यालय की सहमति से उक्त कोर्स /पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक अन्य महाविद्यालय में स्थानांतरित करने का उत्तरदायित्व लेना होगा I
 - viii. महाविद्यालयों में स्वचित पोषित पाठ्यक्रमों के उक्त नियमों एवं शर्तों के संपादन एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु तथा इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश, शिक्षण एवं परीक्षाओं के संचालन एवं नियंत्रण हेतु विश्वविद्यालय को एक प्रभावी व्यवस्था विकसित करनी होगी I विश्वविद्यालय को महाविद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार होगा जिसके अंतर्गत सम्बंधित कोर्स /पाठ्यक्रम की सम्बद्धता को समाप्त किया जा सकेगा।

- ix. महाविद्यालय चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के आय व्यय का वार्षिक ऑडिट कराना सुनिश्चित करेगा तथा यह वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा प्राप्त कुल ट्यूशन आय का 75% भाग वेतन के रूप में व्यय किया गया है।

स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत Campus में संचालित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों की नियुक्तियों के नियम एवं शर्तें :

1. वर्तमान विभाग अथवा नए पाठ्यक्रम हेतु स्थापित विभाग में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक नियुक्त किये जायेंगे। इन शिक्षकों की नियुक्ति सहायक आचार्य, सह आचार्य अथवा आचार्य के रूप में होगी।
2. इस योजना / पाठ्यक्रमों हेतु सहायक आचार्य, सह आचार्य अथवा आचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षकों की योग्यता एवं शैक्षणिक अहर्ताएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य नियामक संस्थाओं के अनुसार होगी।
3. नियुक्तियां सार्वजनिक रूप से दो प्रमुख समाचार पत्रों एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर होंगी। नियुक्तियों हेतु दो प्रमुख समाचार पत्रों एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित जाएगा।
4. शिक्षकों के पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति गठित होगी। चयन समिति में कुलपति द्वारा नामित सम्बंधित विषय क्षेत्र के दो बाह्य विशेषज्ञ होंगे तथा समिति की अध्यक्षता कुलपति करेंगे। सम्बंधित विभागाध्यक्ष भी चयन समिति के सदस्य होंगे। विश्वविद्यालय के कुलसचिव इस चयन समिति के अनौपचारिक सदस्य एवं सचिव होंगे।
5. चयन समिति की संतुस्तियाँ विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् के सम्मुख अनुमोदनार्थ रखी जाएँगी तथा अनुमोदन के पश्चात नियुक्ति पत्र निर्गत किये जायेंगे।
6. आरम्भ में शिक्षक की अनुबंध पर नियुक्ति 2 वर्ष हेतु होगी एवं संतोषप्रद सेवा के साथ 2 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात अनुबंध को 5 वर्ष के लिए विस्तारित किया जाएगा। 5 वर्ष की सेवा के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर अनुबंध को 10 वर्ष के लिए विस्तारित किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय परिनियम के अंतर्गत नियत की गयी सेवा निवृत्ति तक संतोषप्रद शिक्षण, शोध एवं प्रशासनिक योगदान के आधार पर इसी प्रकार अनुबंध का विस्तारण होता रहेगा।
7. शिक्षकों को पाठ्यक्रम की आर्थिक स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय की वित्त समिति/ कार्य परिषद् द्वारा निर्धारित वेतनमान / मासिक परिलब्धियों पर नियुक्त किया जाएगा।
8. लगातार तीन वर्षों तक किसी शिक्षक के कार्य निष्पादन के संतोषजनक न होने पर अथवा पाठ्यक्रम के आर्थिक योगदान में अक्षमता के कारण 3 माह के नोटिस अथवा 3 माह के वेतन की क्षतिपूर्ति के पश्चात उक्त शिक्षक को सेवाओं से मुक्त किया जा सकता है।
9. स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में नियुक्त शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रकार के अवकाश के अधिकारी होंगे।
10. शैक्षणिक कार्यों के अतिरिक्त शिक्षकों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन भी करना होगा।

परिषद् द्वारा समिति के उपर्युक्त संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार करते हुए परिनियम में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त संस्तुतियों को परिनियमावली में समाहित किये जाने हेतु राजभवन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाये।

2. अध्यक्ष की अनुमति से प्रो. एस. के. कटियार संकायाध्यक्ष, इंजीनियरिंग द्वारा TEQIP-III के अन्तर्गत एन.बी.ए. प्रमाण पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में विस्तृत कार्य योजना परिषद् के समक्ष स्वयं प्रस्तुत की गयी जिसमें इंजीनियरिंग संस्थान के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग में आचार्य तथा सह आचार्य के पद सृजित करने का प्रस्ताव था। परिषद् द्वारा निर्देश दिये गये कि शैक्षणिक पदों के पद सृजित करने के प्रस्ताव को विद्या परिषद् की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
3. कुलसचिव द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या वे0आर0-2-665(1)/10-54(एम)2008 टी0सी0 दिनांक 26.09.2013 के अनुपालन में पत्र दिनांक 03/11/2018 के द्वारा कार्य परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में लिपिकीय संवर्ग के पद परिवर्तित कर दिये गये तथा जिसका परिषद् की बैठक

दिनांक 07/02/2019 में अनुमोदन प्रदान किया गया। परन्तु अन्य शासनादेशों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त पद परिवर्तन के समय शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। उक्त विसंगति को दूर करने के लिये एवं शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार लिपिकीय संवर्ग के पद परिवर्तन के सम्बन्ध में विस्तृत परीक्षण कर अपनी संस्तुतियां देने हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित करने के लिये कुलपति को अधिकृत किया गया।

4. अध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित होने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में मार्च 2020 में की गई आंशिक शुल्क बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में विचार विमर्श हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 09.07.2020 में यह सहमति बनी कि जिन पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है उसे 50 प्रतिशत पर लाया जाये। ऐसे कुल सात पाठ्यक्रम (बी.ए.एल.एल.बी., एल.एल.बी., एम.एस-सी जियोलॉजी, बी.एस-सी. जियोलॉजी, बी.बी.ए.-पर्यटन, एम. ए. हिन्दी, बी. ए. ऑनर्स) का शुल्क घटाया गया।

क्रम	पाठ्यक्रम का नाम	घटाया गया शुल्क
1	बी.ए.एल.एल.बी.	24100
2	एल.एल.बी.	24100
3	एम.एस-सी. जियोलॉजी	15000
4	बी.एस-सी. जियोलॉजी	11500
5	बी.बी.ए. (पर्यटन)	28200
6	एम. ए. (हिन्दी)	9100
7	बी. ए. (ऑनर्स)	9000

इसी क्रम में अध्यक्ष द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि कुछ छात्र संगठनों द्वारा बी.टेक तथा फार्मसी पाठ्यक्रमों में बढ़ाये गये शुल्क को कम किये जाने हेतु प्रत्यावेदन दिया है। जिस पर परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में उपर्युक्त पाठ्यक्रमों की शुल्क वृद्धि को वापस लिया जाना उचित नहीं है। साथ ही परिषद् ने छात्रों की सुविधा हेतु छात्रहित में यह भी निर्णय लिया कि यदि छात्र चाहे तो अपना शुल्क दो किस्तों में जमा कर सकता है।

अन्त में सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

N
29.8.2020
(नारायण प्रसाद)
कुलसचिव/सचिव

J. Vaidya
29/8/20
(प्रो. जे. वी. वैशम्पायन)
कुलपति /अध्यक्ष